बर | ~~न्या~~यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

धिवक्ता | 2/10/2021 | तारीख रजू.................

कन्हैया **बनाम** प्रेमसिंह वगैरा

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.07.2021	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतःअप्रार्थीगण जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नम्बर 659, वाके ग्राम अर्रुवा तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के किसी प्रकार का मदाखलन मजाहमत पैदा ना करें। उक्त आराजी को समतल करनें से नही रोके। उपयोग व उपयोग व करने से नही रोके। एवं ऐसा कोई कार्य नही करें जिससे हक हकुम सायल जायल हो। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 09.09.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 09.09.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
9/9/21	वकील प्रार्थी ....उपस्थित। वाबिक्त आदेश दिनांक 7/7/21 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 7/12/21 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
30.8.22	मुकाम करीकेन व०/P.O. बाहुक [illegible] पत्रावली दिनांक 3/11/22 को पेश हो। [signature]	
3/11/22	[illegible] उपस्थित सांविक [illegible] की पालना में [illegible] तलबी दिनांक 25/11/22 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
15/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी [illegible] बार-2 आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्रार्थी [illegible] अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	